न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
1–दिनेश बिंदल पुत्र अमरचंदजी जाति अग्रवाल निवासी शिवगंज 2–मुकटलाल पुत्र मोहनलालजी जाति अग्रवाल निवासी शिवगंज 3–दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र प्रेमचंद जाति अग्रवाल निवासी छावणी शिवगंज तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	1–अमरसिंह पुत्र केसरसिंह 2–शक्तिसिंह पुत्र केसरसिंह 3–गंगाकुंवर पत्नी केसरसिंह 4–जब्बरसिंह पुत्र फूलसिंह 5–चंदनसिंह पुत्र मोहब्बतसिहं 6–देवीसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 7–रतनकुंवर पत्नी मोहब्बतसिंह 8–बाबूसिंह पुत्र गुलाबसिंह 9–राजुसिंह पुत्र गुलाबसिंह 10–शैतानसिंह पुत्र हरिसिंह सर्वजातियान राव निवासीगण चांदाणा 11–राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल		**विद्वान अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा** प्रतिवादी सं0 1 ता 3, 8 ता 10

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 15/2023

–:निर्णयः– **दिनाक 11.02.2026**

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 498 दिनांक 28.08.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने पुनः वादग्रस्त आराजी का जरिये पंत्राक/कोर्ट/2026/08 दिनांक 12.01.2026 से **वादग्रस्त भूमि मौजा चांदाणा** पटवार हल्का केसरपुरा के **खसरा नं0 131/1 कुल रकबा 5.1800 हैक्टयर** भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा **पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा।** पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनाक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 11.02.2026

क्रमांक/कोर्ट/2026/ 70
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
1–दिनेश बिंदल पुत्र अमरचंदजी जाति अग्रवाल निवासी शिवगंज 2–मुकटलाल पुत्र मोहनलालजी जाति अग्रवाल निवासी शिवगंज 3–दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र प्रेमचंद जाति अग्रवाल निवासी छावणी शिवगंज तह0 शिवगंज जिला सिरोही	**बनाम**	1–अमरसिंह पुत्र केसरसिंह 2–शक्तिसिंह पुत्र केसरसिंह 3–गंगाकुंवर पत्नी केसरसिंह 4–जब्बरसिंह पुत्र फूलसिंह 5–चंदनसिंह पुत्र मोहब्बतसिहं 6–देवीसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 7–रतनकुंवर पत्नी मोहब्बतसिंह 8–बाबूसिंह पुत्र गुलाबसिंह 9–राजुसिंह पुत्र गुलाबसिंह 10–शैतानसिंह पुत्र हरिसिंह सर्वजातियान राव निवासीगण चांदाणा 11–राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल		**विद्वान अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा** प्रतिवादी सं0 1 ता 3, 8 ता 10

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0– 15/2023

दिनांक 11.02.2026

वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। **मौजा चांदाणा** पटवार हल्का केसरपुरा के **खसरा नं0 131/1 कुल रकबा 5.1800 हैक्टयर** भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी **मौजा चांदाणा** पटवार हल्का केसरपुरा के **खसरा नं0 131/1 कुल रकबा 5.1800 हैक्टयर** भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बटंवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनाक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

मुदाई	रुपया/पै..	मुद्दायलाह	रुपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	–ःशून्यः–

कमांक/कोर्ट/2026/ 71 **दिनांक 11.02.2026**

प्रतिलिपि पालनार्थः–

तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)